



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125775

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19567/2026

रणजीत सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के लिए अधिवक्ता : आदर्श मोहन पांडे, सौमित्र द्विवेदी, शुभम त्रिपाठी

विपक्षी के लिए अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सौमित्र द्विवेदी, वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह जमानत याचिका, मुकदमा अपराध संख्या 43/2024 अंतर्गत धारा 498ए, 302, 316, 34 आईपीसी तथा धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम, पुलिस स्टेशन मऊ, जिला चित्रकूट, में विचारण के लंबित होने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफआईआर और वादी के बयान में, हालांकि मृतक से दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करने के लिए आवेदक के पूरे परिवार के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए गए हैं, लेकिन मृतक की छोटी बहन की शादी के बाद मारपीट करने और पैसे मांगने का विशिष्ट आरोप पति राहुल देवंशी के खिलाफ लगाया गया है। यहां तक कि मृतक की बेटी ने भी अपने पिता राहुल देवंशी पर मृतक की हत्या का विशिष्ट आरोप लगाया है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि केवल ससुर होने के कारण आवेदक को सामान्य आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक 8 मई 2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता और विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, लेकिन वे उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. वाद के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं की तर्कों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और अवर न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो जो 2025 एससीसी ऑनलाईन एससी 3038** में रिपोर्ट किया गया, में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जो 2024 एससीसी ऑनलाईन एएलएल 6765** में रिपोर्ट किया गया, में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **रणजीत सिंह** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए विचारण /विवेचना में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।

9. आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 में जमानत देने की नीति रणनीति, जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 31.01.2023 के आदेश और रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 में पिला पहन @ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 29.05.2026 के आदेश, का पालन करते हुए, इस आदेश की एक प्रति चित्रकूट जेल अधीक्षक के ज़रिए 24 घंटे के भीतर ईमेल या ई-जेल पोर्टल से आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को भेजे।

(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

5 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।